इलेक्टोरल ट्रस्ट्स से सम्भंदित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. **इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है और वे क्यों आवश्यक हैं?**

कंपनियां, इलेक्टोरल ट्रस्ट केवल एकमात्र उद्देश्य से स्थापित करती हैं की वह अन्य कंपनियों और व्यक्तियों से प्राप्त योगदान का वितरण राजनीतिक दलों को कर सकें।

जनवरी 31, 2013 को 'इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम, 2013' के माध्यम से केंद्र सरकार ने निर्वाचन न्यासों के पंजीकरण के लिए पात्रता और प्रक्रिया निर्धारित की। यह ध्यान रखना जरूरी है की केवल ऐसी कंपनियां जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत हैं वही एक इलेक्टोरल ट्रस्ट के रूप में अनुमोदन के लिए एक आवेदन करने के पात्र हैं।

2. **ऐसे कौन से कानून या नियम हैं जो इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के निर्माण और कामकाज को संचालित करते हैं?**

केन्द्र सरकार ने 31 जनवरी, 2013 को आयकर नियम, 1962 में संशोधन कर के उसने नियम 17CA को सन्निविष्ट किया। इसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीडीटी) द्वारा मंजूर इलेक्टोरल ट्रस्ट के कार्यों को सूचीबद्ध किया गया। केंद्र सरकार ने 'इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम, 2013' का शुभारंभ करते हुए उसमे इलेक्टोरल ट्रस्ट की पात्रता और पंजीकरण की प्रक्रिया निर्दिष्ट की जो पंजीकरण का प्रारूप देने के अलावा है।

भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने दृढ़ता से यह व्यक्त किया कि इलेक्टोरल ट्रस्ट्स स्कीम, 2013 के शुरू होने से पहले, पारदर्शिता की सख्त कमी थी चाहे वह राजनीतिक दलों के धन के स्रोत के बारे में जानकारी हो या वितरण के स्रोत के बारे मे, जो इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के माध्यम से आ रहे हों। इसी कारण, 6 जून, 2014 को आयोग ने अपने दिशा निर्देशों में इलेक्टोरल ट्रस्ट्स को अपने योगदान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

3. **इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के योगदान से संबंधित बुनियादी बातें क्या हैं?**

नीचे दी गई टेबल मे इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के योगदान से सम्बंधित कुछ बुनियादी बातें:

कौन योगदान दे सकता है	कौन योगदान नहीं दे सकता है
एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है	एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है
भारत में पंजीकृत कंपनी	एक विदेशी संस्था जो पंजीकृत हो या नहीं
एक फर्म (भारत में निवासी)	अन्य इलेक्टोरल ट्रस्ट्स (इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के तहत अनुमोदित)
एचयूएफ (भारतीय निवासी)	पैन के बिना योगदानकर्ता
व्यक्तियों का एक संघ (भारतीय निवासियों)	अनिवासी भारतीय जिनके पास पासपोर्ट नंबर नहीं है

4. **इलेक्टोरल ट्रस्ट्स द्वारा धन संग्रह करने की व्यवस्था क्या है?**

उन योगदानकर्ताओं से चंदे की प्राप्ति पर जो उपरोक्त शर्तों का पालन करते हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के लिए जरूरी है की वह एक रसीद योगदानकर्ताओं को जारी करें इसके अलावा वह एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखें।

(i) नाम और योगदानकर्ता का पता

(ii) योगदानकर्ता का पैन/एनआरआई का पासपोर्ट नंबर

(iii) राशि और योगदान के मोड (नाम और बैंक की शाखा के साथ, दान की प्राप्ति की तारीख)

(iv) इलेक्टोरल ट्रस्ट का नाम

(v) इलेक्टोरल ट्रस्ट का पैन

(vi) सीबीडीटी द्वारा अनुमोदित दिनांक और संख्या

(vii) नाम और रसीद जारी करने वाले व्यक्ति का पद

एकत्र धन ट्रस्ट के सदस्यों या उनके रिश्तेदारों (ट्रस्ट के संस्थापक सहित) के प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष लाभ या किसी भी व्यक्ति जिस ने ट्रस्ट को योगदान दिया है उनके लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

5. **निर्वाचन ट्रस्ट द्वारा एकत्रित धन के वितरण की व्यवस्था क्या है?**

प्रशासनिक खर्च के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट्स को मौजूदा वित्त वर्ष मे कुल धन का अधिकतम 5% अथवा पिछले वित्त वर्ष से बचे किसी भी अधिशेष को अलग रखने के लिए अनुमति दी गई है। ट्रस्ट्स की कुल आय के शेष 95% के सहित पिछले वित्त वर्ष से किसी भी अधिशेष को राजनीतिक दलों को वितरित किया जाना आवश्यक है। राजनीतिक दलों के लिए इस तरह के योगदान की हमेशा एक लाभांवित पार्टी से प्राप्त रसीद होनी चाहिए, साथ मे राजनीतिक पार्टी का पैन, पंजीकरण संख्या और नाम और रसीद पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पद का रिकॉर्ड होना चाहिए।

6. **क्या इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के लिए आवश्यक है की वह सारे एकत्र धन और उसके वितरण के खातों को बनाए रखे?**

हाँ, इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के लिए आवश्यक है की वह सारे एकत्र धन और उसके वितरण के खातों अथवा उनकी प्राप्तियों, वितरण और व्यय के संबंध के अन्य दस्तावेजों को बनाए रखें। यह कुल आय की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप करने के लिए सक्षम है।

खातों की किताब मे जिन लोगों से योगदान प्राप्त किया गया है और जिनको वितरित किया गया है उसकी सूची होनी चाहिए, दाताओं का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या, नाम सहित प्राप्त राशि और भुगतान के तरीके के विवरण के साथ बैंक की शाखा का नाम भी होना चाहिए।

7. **क्या इन खातों/बयानों का नियमित रूप से लेखापरीक्षित होता है और क्या यह आम जनता के लिए उपलब्ध हैं?**

हर इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए आवश्यक है की वह अपने खातों को एक एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित करवाए और स्वरूप निर्दिष्ट (फार्म नं 10BC) ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करे अनुबंध के विवरण के साथ आयकर आयुक्त

को या आयकर विभाग के निदेशक को जिनका अधिकारक्षेत्र मे इलेक्टोरल ट्रस्ट आते हों, नियत तारीख से पहले या उसी दिन जो धारा 139 के तहत एक कंपनी द्वारा आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट किया गया हो।

8. **कौन से कानून/नियम 2013 से पहले स्थापित हुए इलेक्टोरल ट्रस्टों के कामकाज के बारे मे उल्लेख करते हैं?**

इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 के शुरू होने से पहले राजनीतिक दलों को दान देने वाले 6 इलेक्टोरल ट्रस्ट्स रहे हैं - जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट, हारमनी इलेक्टोरल ट्रस्ट, कॉर्पोरेट इलेक्टोरल ट्रस्ट, भारती इलेक्टोरल ट्रस्ट और सत्या इलेक्टोरल ट्रस्ट।
ज्योंकी नियम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हैं इसलिए इन 6 इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट्स स्कीम, 2013 के तहत नियमों का पालन करना आवश्यक नही है. इस प्रकार, इन 6 इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के दानदाताओं का ब्यौरा अनजान रहता है।

9. **इलेक्टोरल ट्रस्ट्स जिनकी स्थापना 'इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम' से पहले हुई है, जनता कैसे उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स को प्रयाप्त कर सकती है?**

इलेक्टोरल ट्रस्ट्स स्कीम 2013 से पहले बने इलेक्टोरल ट्रस्टों की योगदान रिपोर्टों का खुलासा करने के संबंध में कोई भी उचित क़ानून नहीं है।

10. **क्या एडीआर ने उन इलेक्टोरल ट्रस्टों की वित्तीय जानकारी पाने के लिए, जो 2013 से पहले गठित हुए थे, सीआईसी/उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट मे कोई याचिका/शिकायत दायर की है?**

हाँ, एडीआर ने सीआईसी के साथ अपील दायर की है जिसके तहत उसने सारे उन इलेक्टोरल ट्रस्टों की ऑडिट रिपोर्ट, दान और योगदान की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए आग्रह किया है जो वित्तीय वर्ष 2002-03 और वित्त वर्ष 2012-13 के बीच गठित हुए हैं।

चूंकि इलेक्टोरल ट्रस्ट्स राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं इसलिए उनसे सम्बधित वित्तीय जानकारी को जनता को उपलब्ध करना सार्वजनिक हित में होगा। वर्तमान में अपील सीआईसी के पास लंबित है।

11. **इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के कामकाज में पारदर्शिता में सुधार के बारे में एडीआर की सिफारिशों क्या हैं?**

एडीआर ने इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के कामकाज में पारदर्शिता में सुधार के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं

1. **6 इलेक्टोरल ट्रस्ट्स -** जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट, हारमनी इलेक्टोरल ट्रस्ट, कॉर्पोरेट इलेक्टोरल ट्रस्ट, भारती इलेक्टोरल ट्रस्ट और सत्या इलेक्टोरल ट्रस्ट, जो केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए पारदर्शिता नियम से पहले गठित हुए, उन्होंने राष्ट्रीय दलों को वित्त वर्ष 2004-05 और 2011-12 के बीच **105 करोड़**

रुपए की कुल राशि दान की, इन इलेक्टोरल ट्रस्टों के दानदाताओं के ब्यौरे का खुलासा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, **एक ही नियम** जो उन इलेक्टोरल ट्रस्टों के लिए लागु होता है जिनका 31 जनवरी, 2013 के बाद गठन हुआ वही **ऊपर उल्लेख इलेक्टोरल ट्रस्टों के लिए भी लागु होना चाहिए**, ताकि उनकी पारदर्शिता में सुधार लाया जा सके।

2. इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के नाम, वर्तमान में, ट्रस्ट को स्थापित करने वाली कंपनी/कंपनियों के समूह कि ओर संकेत नहीं करते। इसलिए राजनितिक दलों कि कॉर्पोरेट फंडिंग मे अधिकतम पारदर्शिता लाने के लिए, **इलेक्टोरल ट्रस्ट के नाम पर मूल कंपनी का नाम शामिल करना** उपयुक्त होगा।

3. **ऐसे इलेक्टोरल ट्रस्ट्स जिन्होंने ECI द्वारा परिचालित दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है** या फिर कोई जवाब नहीं दिया है, उन्हें **कठोरता से दंडित** किया जाना चाहिए जैसे ECI द्वारा ट्रस्टों के लिए जारी की गई अधिसूचना में संकेतित है।